

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी :::: बंशीधर योगी (तहसीलदार)  
मिसल नं. :::: 92 / 2020  
सरकार बनाम् जलेशिंह पुत्र सुलतान, जाति-मेघवाल,  
निवासी-बिशनपुरा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 02.11.2020


निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल जलेशिंह पुत्र सुलतान, जाति-मेघवाल, निवासी-बिशनपुरा, द्वारा रोही मौजा बिशनपुरा (जाखोद) की भूमि ख.नं. 5 के कुल रकबा 63.17 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है० पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित। गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० सं० 4 के वृत्त सं. 28 पर  
वर्ष. 2020-21 में रूपये 5.00 कायम कि।  
राजस्व लेखाकार

  
(बंशीधर योगी)  
तहसीलदार, सूरजगढ़